न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2020

बउनवान

अरविन्द आयु 32 वर्ष पुत्र किशनगोपाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रावल जावल, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री गोरधनपुरी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रावल जावल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज.) **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) भू आवंटन अधिनियम, 1970

उपस्थिति :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा, अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक **(अप्रार्थी 1)**

निर्णय दिनांक 23.11.2022

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी कम 1 को दिनांक 17.11.1988 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मुख्यालय माल बमोरी पर साबिक खसरा नंबर 210 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 210/2 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का कीमतन आवंटन किया गया। उक्त आवंटित आराजी के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नंबर 594 रकबा 0.07 है., खसरा नंबर 608 रकबा 0.29 है., दर्ज किया गया है। हाल खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है. आम रास्ता है और वर्षो से ग्रामवासियान इसी खसरा नंबर 607 में बने आम रास्ते से ग्राम मउ, शंकरपुरा, रावल जावल में आने जाने के काम ले रहे है। हाल खसरा नंबर 607 का साबिक खसरा नंबर 210 मि. था, साबिक खसरा नंबर मि. 210 से अप्रार्थी कम 1 की आवंटित आराजी खसरा नंबर 594, 608 बनी है। खसरा नंबर 608 रकबा 0.29 है., ग्राम रावल जावल से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है, सिवायचक बंजड है जो कि ग्रामवासियान के लिए बरसों से रास्ते के काम आ रही है। अप्रार्थी कम 1 ने खसरा नंबर 608 रकबा 0.29 है. के साथ साथ लगवां रास्ते की आराजी खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है. को भी हांक कर अपनी आराजी खसरा नंबर 608 में मिला लिया है जिससे ग्रामवासियान का आने जाने का रास्त बन्द हो गया। खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 608 रकबा 0.29 है. के साबिक खसरा नंबर 210 मि. नंबर है। खसरा नंबर 210 मि0 आवंटन होने से पूर्व मौके पर प्रार्थी व ग्रामवासियान के आने जाने का रास्ता था। मौके पर खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है. रास्ते की भूमि निकाल दिया जावें तो अप्रार्थी कम 1 के आवंटन वास्ते भूमि शेष नही रहे। अप्रार्थी कम 1 द्वारा आवंटन दिनांक 17.11.1988 के 32 वर्ष बाद सम्वत् 2077 में आवंटित भूमि पर कब्जा किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी कम 1 के नाम किया गया आवंटन दिनांक 17.11.1988 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.22 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अभिभाषक उपस्थित हुयें। भू आवंटन रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी कम 1 को दिनांक 17.11.1988 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साबिक खसरा नंबर 210 मि. रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 210/2 रकबा 19 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का कीमतन आवंटन किया गया। उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 594 रकबा 0.07 है. दएवं 608 रकबा 0.29 है. कायम हुए हैं। खसरा नंबर 608 की आराजी के लगवां खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है. आम रास्ता है, जिसकी किस्म राजस्व रेकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज है। उक्त आराजी में से वर्षो से ग्रामवासियान ग्राम मउ, शंकरपुरा, रावल जावल में आने जाने के काम ले रहे है। हाल खसरा नंबर 607 का साबिक खसरा नंबर 210 था, साबिक खसरा नंबर 210 से अप्रार्थी कम 1 की आवंटित आराजी खसरा नंबर 594, 608 बनी है। खसरा नंबर 608 रकबा 0.29 है., ग्राम रावल जावल से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है, सिवायचक बंजड है, जो कि ग्रामवासियान के लिए रास्ते के काम आ रही है। अप्रार्थी ने आराजी खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है. को भी हांककर आवंटित आराजी खसरा नंबर 608 रकबा 0.29 है. में मिला लिया है। अप्रार्थी ने आवंटन आदेश दिनांक 17.11.1988 के पश्चात प्रथम बार सम्वत् 2077 में 32 वर्ष बाद आवंटित आराजी को काश्त किया है। अतः अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में दिनांक 17.11.1988 को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 द्वारा कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 को आवंटन आदेश दिनांक 17.11.1988 की पालना में दिनांक 06.06.1989 को दखल दिया गया तथा आवंटित आराजी पर आवंटन शर्तों की पालना करने एवं तय शुदा राशि जमा करवाने के उपरान्त अप्रार्थी कम 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। तथा खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील खसरा नंबर 607 रकबा 0.09 है. पर कब्जा करने व उक्त भूमि तथा खसरा नंबर 608 रकबा 0.29 है. व खसरा नंबर 210 रास्ते की भूमि होने व गलत आवंटन करने के आधार पर पेश किया गया। आवंटन 1988 में हुआ परन्तु प्रथम बार काश्त संवत 2077 में करीब 32 वर्ष पश्चात किया जाना भी प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। आवंटित भूमि पर पूर्व में काश्त नही होने के सम्बन्ध में कोई सबूत दस्तावेज पेश नहीं किये हैं न ही आवंटित भूमि रास्ते की होने बाबत ही कोई दस्तावेज पेश किये हैं।

इसके अलावा आवंटित भूमि पर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र [illegible]योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.22 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर,बारां
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)